INDIA NON JUDICIAL

IN-UP02219906005899V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

ACC ID - UP1 329004
AAC NAME - SHRINIWAS
E-STAMP VENDER L.No.-15
KACHEHRI-ETAH

Certificate No.	:	IN-UP02219906005899V
Certificate Issued Date	:	31-Aug-2023 02:39 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14329004/ ETAH SADAR/ UP-ETH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1432900400012049086141V
Purchased by	:	SECRETARY RBS M V DEPARTMENT PHARMACY PATIYALI
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	DISTRICT KASGANJ
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SECRETARY RBS M V DEPARTMENT PHARMACY PATIYALI
Second Party	:	BTE UP LUCKNOW
Stamp Duty Paid By	:	SECRETARY RBS M V DEPARTMENT PHARMACY PATIYALI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

NOTARIAL NOTARIAL

2-46 AM/PM

Is certified by Shri...
I have administered oath to the deponent and
I have satisfied my self ...
Understands the Contents ...
I have read and explained ...
Verified at Etah on Dated...
Advocate Notary

31/08/2023

(प्रारूप—"अ")

सत्र 2023—24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम ...(नाम अध्यक्ष) अध्यक्ष एवं रामविलास वैद्य (नाम सचिव) सचिव क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव सोसाइटी (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता) मनमोहन मैनेजमेन्ट सोसाइटी फार स्वरोजगार एवं विकास डेवलपमेंट मन्नापुरी पटियाली शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं—

31/8/2023

NOTARY ETAH

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा मनमोहन मैनेजमेन्ट सोसाइटी फॉर स्वरोजगार एवं विकास डेवलपमेंट (संस्था का नाम एवं पता) मन्नापुरी पटियाली नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023—24 से किया जाना प्रस्तावित है।

Secretary
R.B.S. Mahavidhyalaya
Department of Pharmacy
Patiyali (Kasganj)

2. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम मनमोहन मैनेजमेन्ट सोसाइटी फार एजुकेशन [illegible] (पता जहाँ पर भूमि स्थित है) पटियाली [illegible] में गाटा संख्या 2883, 2884 एवं 2885 रकबा क्रमशः 1.329 है० एवं 1.328 हेक्टेयर (कुल रकबा 1.328 हेक्टेयर) भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 2883, 2884, 2885 एवं 1.328 हेक्टेयर रकबा क्रमशः 2883, 2884 एवं 1.329 है० हेक्टेयर (कुल रकबा 1.328 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी / ट्रस्ट की बैठक दिनांक 27/06/2022 .... द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

NOTARY * GOVT. OF UTTAR PRADESH

NOTARY ETAH 31/08/2023

R.B.S. [illegible] idhyalaya
Department of Pharmacy
Patiyali (Kasganj)

Secretary
R.B.S. Ma[illegible]idhyalaya
Department of Pharmacy
Patiyali (Kasganj)

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यकम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यकम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यकमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह0 सचिव
Secretary
R.B.S. Mahavidhyalaya
Department of Pharmacy
Patiyali (Kasganj)

ह0 अध्यक्ष
R.B.S. Mahavidhyalaya
Department of Pharmacy
Patiyali (Kasganj)